

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

मन्नी पत्नि दयालराम मीणा नि. पांचा का बाडा

बनाम

लाडूराम पिता हेमाराम मीणा नि. पांचा का बाडा बगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 729/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
28.10.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम सेहलादाता प. ह. विन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 2200 कुल कित्ता 01 रकबा 01.10 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के चारो और पुख्ता बाउण्ड्री बनाना चाहता है जिसके लिए स्थायी सीमा बिन्दु कराना आवश्यक है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की कृषि आराजी के पडोसीगण है उक्त कृषि भूमि कें अप्रार्थीगण पडोसी होने से उन्हें सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नही होने से आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहा है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम सेहलादाता प. ह. विन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 2200 कुल कित्ता 01 रकबा 01.10 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	